

प्रेषक,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तरांचल,
देहरादून।

सेवा में,

वरिष्ठ कोषाधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक 132 /सह0न्या0/2004-2005/दिनांक31 मार्च 2005

विषय: वित्तीय वर्ष 2004-2005 हेतु सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तरांचल, देहरादून के आयोजनेत्तर पक्ष में विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 125/xiv-1/2005 सहकारिता अनुभाग दिनांक 24-3-2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 में सहकारी न्यायाधिकरण हेतु आयोजनेत्तर पक्ष की मानक मद 16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 52200-00 एवं मानक मद 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में रू0 10000-00 अर्थात् कुल रू0 62200-00 पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि उपरोक्त धनराशि रू0 62200-00 (रू0 52200-00 मानक मद 16- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में एवं रू0 10000-00 मानक मद 27- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में) सहकारी न्यायाधिकरण के लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-00-05-सहकारी न्यायाधिकरण के नाम बजट में चढाने का कष्ट करें ताकि बजट के सापेक्ष बिलों का भुगतान प्राप्त करने हेतु देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जा सकें।

यह भी अवगत करना है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से सम्बन्धित शासनादेश की मूल प्रति दिनांक 28-3-05 को कोषागार, देहरादून में सम्बन्धित पटल प्रभारी को उपलब्ध करा दी गयी है। उपरोक्त शासनादेश की छायाप्रति पुनः आपको संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-शासनादेश की छायाप्रति।


भवदीय,

अध्यक्ष,

सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तरांचल,
देहरादून।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1-सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन।
- 2-महालेखाकार, लेखा एव हकदारी, उत्तरांचल।
- 3-वित्त विभाग-2 उत्तरांचल शासन।
- 4-अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल, अल्मोडा।
- 5-निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6-गार्ड फाइल।


अध्यक्ष,

सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तरांचल,
देहरादून।